न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 01/2020

अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम

राम कुमार पुत्र सोहन लाल जाति बिश्नोई सुथार निवासी 1 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. अंगूरीदेवी
2. अनीता
3. सोना देवी

पुत्रीयान हंसराज जाति बिश्नोई सुथार निवासी 1 वाई तह. व जिला श्रीगंगानगर

4. राजेश कुमार
5. राम रतन
6. शक्ति सिंह

पिसरान हंसराज जाति बिश्नोई सुथार निवासी 1 वाई तह. व जिला श्रीगंगानगर

7. ग्राम पंचायत 3 वाई जरिये सरपंच/सचिव

.....रेस्पोडेन्ट्स

– :: उपस्थित अधिवक्ता :: –

उपस्थित– श्री मोहनलाल माहर – अपीलार्थी
श्री प्रदीप सिहाग – रेस्पोडन्टस 4, 5
रेस्पोडेन्ट संख्या 7 सरपंच ग्राम पं.3 वाई – स्वयं
रेस्पोस्डेन्ट संख्या 1 ता 3 व 6 के विरूद्ध दिनांक 06.08.220 को एकपक्षीय कार्यवाही।

दिनांक :–17.08.2020

–:: निर्णय ::–

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्यानुसार अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों एवं बिना क्षेत्राधिकार के स्वीकृत किया गया है। नकल प्रमाणित प्रतिलिपि अपीलाधीन आदेश सलंग्न अपील है। रेस्पोडैन्ट स0 1 ता 6 के पिता हंसराज पुत्र सोहनलाल के नाम से मुश्तर्का खाता में चक 1 वाई के मु0 न0 24, 40, 41, 42, 43, 44 व 45 के कुल 35.169 है। कृषि भूमि में 5.478 है0 कृषि भूमि दर्ज थी जिसके विभाजन, घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद श्रीमानजी के समक्ष बअनुवानी सुरेन्द्रपाल सिंह बनाम सुखदेव सिंह वगैरा वाद 132/2015 तारीख पेशी 20.02.2020 मुकर्रर है। वाद के विचारण के दौरान प्रतिवादी

प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी स0 7 राम कुमार (वर्तमान अपीलार्थी) ने वाद के जवाब दावा के साथ प्रतिवाद पत्र (Counter Claim) इस आश्य का प्रस्तुत किया कि संयुक्त हिन्दु परिवार के आपसी पारिवारिक समझौता में प्रश्तगत कुल 35.169 है0 में से मु० न0. 41 के किला न0 2, 9, 12, 19, 22 प्रत्येक 0.15–15 बीघा कि0 न0 3, 8, 13, 18, 23 प्रत्येक के 10–10 बिस्वा तथा कि0 न0 3 में 0.10 बिस्वा, कि0 न0 4 में 15 बिस्वा, कि0 न0 7 में 0.03 बिस्वा, कि0 न0 8 में 0.02 बिस्वा कुल 7.15 बीघा व मु0 न0 42 के कि0 न0 6 में 0.015 बिस्वा, 7, 8, 9 प्रत्येक सालम, कि0 न0 10 में 0.11 बिस्वा कुल 4.06 तथा मु0 न0 44 के कि0 न0 1 में 0.11 बिस्वा, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक सालम–सालम कुल 4.11 बीघा इस प्रकार कुल 17.01 रकबा कब्जा में प्राप्त हुआ था जिसकी घोषणा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रतिवाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 03.12.2018 को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकृत फरमाई गई। लेकिन माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 27.01.2020 को 14.15 बीघा की हद तक अपील स्वीकृत फरमाई जिसके विरूद्ध निगरानी माननीय राजस्व मण्डल में जैरकार है। इसी दौरान रेस्पोडैन्ट स0 6 ने बिना किसी जांच एवं नोटिस के एकतरफा तौर पर अपीलाधीन आदेश स्वीकृत फरमाया गया जिसके विरूद्ध अपील निम्न प्रकार से है :–

(क) यह है कि निर्विवादित रूप प्रश्नगत कृषि भूमि 1 वाई के मु0 न0 40, 41, 42, 44, 45 की कुल 35.169 है। कृषि भूमि के सम्बन्ध में घोषणात्मक, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा के विचाराधीन था। रेस्पोडैन्ट स0 7 स्वयं भी अपीलाधीन आदेश से स्वीकार करता है कि माननीय उपखण्ड अधिकारी एवं राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णयानुसार वाद अभी लम्बित है। वाद से ही पक्षकारों के हक व अधिकारों का अन्तिम रूप से विनिश्चय होना है। लेकिन रेस्पोडैन्ट स0 7 ने अपने अधिकारों का दुरूपयोग कर बिना क्षेत्राधिकार के अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है।

(ख) यह है कि प्रश्नगत् कृषि भूमि के सम्बन्ध में अपीलान्ट एवं रेस्पोडैन्ट स0 1 ता 6 के बीच वाद विचाराधीन है। वाद के विचाराधीन रेस्पोडैन्ट स0 7 ग्राम पंचायत ने अपीलाधीन आदेश को पारित कर कानूनी भूल की है। रेस्पोडैन्ट स0 7 को प्रकरण को तहसीलदार के समक्ष प्रेषित करना चाहिये था।

(ग) यह है कि निर्विवादित रूप से प्रश्नगत् कृषि भूमि को घोषणा एवं विभाजन के वाद में अपीलार्थी के कब्जे के 17.01 बीघा का निस्तारण किया जाना था कि क्या अपीलार्थी को पारिवारिक विभाजन में 17.01 बीघा की घोषणा की जा सकती है अथवा अपीलार्थी के 14.15 बीघा का विभाजन ही किया जा सकता

(घ) यह है कि रेस्पोडेन्ट स0 7 का आदेश आनन–फानन में पारित किया गया आदेश है जबकि ग्राम पंचायत को विरास्तन के साथ मौके के कब्जे की जांच हल्का पटवारी/गिरदावर से ली जानी आवश्यक थी लेकिन ग्राम पंचायत ने उसी रोज नामान्तकरण स्वीकृत कर कानूनी भूल की है। अन्य तथ्य बरवक्त बहस अर्ज किये जावेंगे जिनके आधार पर अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन इन्तकाल संख्या 483 दिनांक 05.02.2020 को निरस्त फरमाया जावे।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिए सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 ता 3 व 6 के समन पर विधिवत तामील होने पर एवं न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 3 व 6 के विरूद्ध दिनांक 06.08.2020 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वकील अपीलान्ट एवं वकील रेस्पोडेन्ट्स संख्या 4 व 5 के निवेदन पर बहस सुनी गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के अभिकथनों को दोहराते हुए कथन किये कि ग्राम पंचायत को केवल लैण्ड रिकार्ड रूल 135(1) के तहत ही कार्यवाही करने का अधिकार है। जबकि प्रकरण हाजा में 138(2) एल.आर. रूल से सम्बन्धित होने से ग्राम पंचायत द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर इंतकाल संख्या 483 दिनांक 05.02.2020 स्वीकृत किया है। इसी न्यायालय में सुरेन्द्रपाल सिंह बनाम सुखदेव सिंह दावा जैरकार था। वाद में अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा मय काउंटरकलेम पेश किया जा चुका था। मौके पर रेस्पोडन्ट्स का कब्जा नहीं होने पर बावजूद भी ग्राम पंचायत द्वारा इंतकाल स्वीकृत कर दिया गया। इन्तकाल दर्ज होने से पूर्व नियम 133 एल.आर. की पालना नहीं हुई। जब तक दावे का निस्तारण नहीं हो जाता इन्तकाल इनहेल्ड किया जावे। अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त **"Pg.648 Suraj karan v/s Chhitar & ors. RRD-14.10.2009"**, एवम् **"2009(2) RRT 816 BORD OF REVENU FOR RAJASTHAN, AJMER"** पेश कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स ने जवाब में कथन किये कि प्रकरण 135(1) एल.आर. से सम्बन्धित ही है, स्थिति तब विवादग्रस्त मानी जाती है जबकि उत्तराधिकार में कोई विवाद हो। यहां विधिक वारिसान का कोई विवाद नहीं है। विरासतन इंतकाल दर्ज करते समय कब्जा नहीं देखा जाता है। अधिकारों का निर्णय दावे में होना है। प्रश्नगत इंतकाल संख्या 483 दिनांक 05.02.2020 द्वारा केवल हंसराज के विधिक वारिसान का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ है। अतः अपील खारिज की जावे। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स द्वारा बहस के समर्थन में

– :: आदेश :: –

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन व सम्मानीय न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। ग्राम पंचायत 3 वाई की बैठक कार्यवाही रजिस्टर के अवलोकन से दिनांक 05.02.2020 को प्रस्ताव संख्या 03 द्वारा इंतकाल संख्या 483 तस्दीक किया जाना प्रकट होता है। यह स्वीकृत तथ्य है कि हंसराज के विधिक वारिस से सम्बन्धित या उत्तराधिकार से सम्बन्धित कोई तथ्य विवादित नहीं है। अनवानी दावा सुरेन्द्रपाल सिंह बनाम सुखदेवसिंह में भी प्रतिवादी संख्या 5 हंसराज की फौतगी पश्चात् उसके विधिक वारिसान 5/1 ता 5/6 को पक्षकार बनाया गया है। चूंकि उत्तराधिकार का प्रश्न अविवादित है। अतः प्रकरण 135(1)एल.आर. का होने से ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में आता है। अधिवक्ता अपीलांट ने भी अपनी बहस में इंतकाल को मात्र फिस्कल प्रोसेडिंग होना अभिकथित किया है। अधिकारों का निर्णय मूल वाद में होना है। जिसमें रेस्पोडेन्ट्स पूर्व से ही प्रतिवादी पक्षकार के रूप में संयोजित है। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है।

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर अपीलाधीन इन्तकाल संख्या 483 दिनांक 05.02.2020 ग्राम पंचायत 3 वाई द्वारा क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत करना पाया जाता है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 17.08.2020 को जारी किया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर